



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
"प्रकीर्ण वर्ग", देहरादून।



Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक- 583 / 8(2)सा0प्र0 / 20

दिनांक- 24 / 08 / 2020

"कार्यालय ज्ञाप"

इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-374/8(2)सा0प्र0/17 दिनांक-27.06.2017 द्वारा मैसर्स के0बी0एम0 कंस्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो0 श्रीमती बीना राणा, निवासी-7, प्रियलोक कॉलोनी, फेज-1, सेवला कलां जी0एम0एस0 रोड़, देहरादून, का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 'मार्ग कार्यों' हेतु ठेकेदारों की सूची श्रेणी 'ए' में पंजीकरण का नवीनीकरण दिनांक-30.06.2020 तक किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। परन्तु इस कार्यालय के पत्र सं0-295/08सा0प्र0-पंजीकरण/20 दिनांक-17.06.2020 द्वारा कोविड-19 (Covid-19) के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पंजीकरण के नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक-30.09.2020 तक का समय विस्तार किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

मैसर्स के0बी0एम0 कंस्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो0 श्रीमती बीना राणा, निवासी-7, प्रियलोक कॉलोनी, फेज-1, सेवला कलां जी0एम0एस0 रोड़, देहरादून, वर्तमान समय में विकास खण्ड कल्जीखाल जिला-पौड़ी गढ़वाल में ब्लाक प्रमुख के पद पर आसीन होने के कारण उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित विधायी परिशिष्ट भाग-1 खण्ड (क) दिनांक-07.04.2016 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के पत्र सं0-128/XXXV (3)/2016-20-(1)/2016 दिनांक-07.04.2016 से जारी अधिसूचना के धारा-69 में क्षेत्र पंचायत के क्रमशः प्रमुख/उप प्रमुख एवं अधिकारी या सेवक को भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अर्थ में लोक सेवक समझा जायेगा उल्लिखित किया गया है।

अतः उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 168 (168, Public servant unlawfully engaging in trade- Whoever, being a public servant, and being legally bound as such public servant not to engage in trade, engages in trade, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.) के अन्तर्गत इस कार्यालय के उपरोक्त ज्ञाप दिनांक-27.06.2017 से मैसर्स के0बी0एम0 कंस्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो0 श्रीमती बीना राणा, निवासी-7, प्रियलोक कॉलोनी, फेज-1, सेवला कलां जी0एम0एस0 रोड़, देहरादून, का लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 'मार्ग कार्यों' हेतु ठेकेदारों की सूची श्रेणी "ए" में किये गये पंजीकरण का नवीनीकरण आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

हो-

(इं0 अयाज अहमद)

मुख्य अभियन्ता स्तर-1(नि0)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-मुख्य अभियन्ता स्तर-1/II, रा0मा0/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0यू0/ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा/ देहरादून/ हल्द्वानी।
- 2-समस्त अधीक्षण अभियन्ता,वां वृत्त, लो0नि0वि0,.....को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश से अपने अधीनस्थ खण्डों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- 3-अधिशायी अभियन्ता, (आई0टी0) विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून
- 4- मैसर्स के0बी0एम0 कंस्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो0 श्रीमती बीना राणा, निवासी-7, प्रियलोक कॉलोनी, फेज-1, सेवला कलां जी0एम0एस0 रोड़, देहरादून।
- 5-श्री महेन्द्र सिंह असवाल एडवोकेट पुरानी ट्रेजरी निकट प्रधान डाकघर कचहरी रोड़ पौड़ी गढ़वाल को उनके शिकायती पत्र दिनांक-07.08.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 6-वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी परिवाद वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को श्री महेन्द्र सिंह असवाल एडवोकेट पुरानी ट्रेजरी निकट प्रधान डाकघर कचहरी रोड़ पौड़ी गढ़वाल के शिकायती पत्र दिनांक-07.08.2020 की छायाप्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि उक्त शिकायती पत्र पर अपने स्तर से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न-यथोपरि।

महेश
24-8-2020

मुख्य अभियन्ता स्तर-1(नि0)